न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी:- (मोनी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या:- 528/2025

1 मंगूराम पुत्र श्री मनाराम उर्फ मनसा जाति सांसी निवासी वार्ड 13, जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2 सन्तुराम पुत्र श्री मनाराम उर्फ मनसा जाति सांसी निवासी वार्ड 13, जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-वादीगण

बनाम्

1 नानकू पुत्र सीतो जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2 बुधराम पुत्र श्री मनाराम उर्फ मनसा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3 रवि पुत्र श्री मनाराम उर्फ मनसा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री गुरप्रीत सिंह - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 ता 3
3. एकपक्षीय कार्यवाही - प्रतिवादी सं. 1
4. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 4

-:निर्णय:-

दिनांक 26.12.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध एवं प्रमाणित पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो शीर्षक वाद पत्र में निवेदित किया गया है।

यह कि चक 3 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 112/103, खाता नानकू आदि, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के पत्थर नम्बर 100/239 (10) किला नम्बर 5/.253, पत्थर नम्बर 101/239 (9) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 8 से 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 से 24/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 102/239 (8) किला नम्बर 20, 21/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 5.566 हैक्टेयर आराजी में वादी संख्या 1 मंगूराम के नाम 17/72 हिस्सा, वादी संख्या 2 सन्तुराम के नाम 17/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 नानकू के नाम 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 2 बुधराम के नाम 17/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी सख्या 3 रवि के नाम 17/72 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

यह कि वाद पत्र की मद सख्या 2 में दर्ज आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का अच्छी व मन्दी भूमि

अनुसार घराघरू विभाजन किया हुआ है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 आपस में हकीकी भाई है तथा आपस में बंटवारे में वादीगण को .759 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की आराजी के बदले में कृषि यंत्र, नगदी व आभूषण दिये गये है। मुताबिक घराघरू विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में निम्न लिखित भूमि आई है। पक्षकारान इस मद में दर्ज विवरण अनुसार काबिज चले आ रहे है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी की निम्न अनुसार घोषणा एवं खाता तक्सीम करवाने के अधिकारी है -

(क) चक 3 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 112/103, खाता नानकू आदि, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 :-

(i) वादी संख्या 1 मंगूराम व वादी संख्या 2 सन्तुराम बहिस्सा बराबर - पत्थर नम्बर 100/239 (10) किला नम्बर 5/.253 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 101/239 (9) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 8 से 13/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 18 से 22/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 23/.098 (पश्चिम ओर) कुल 3.387 हैक्टेयर आराजी।

(ii) प्रतिवादी संख्या 1 नानकू (.309 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 2 बुधराम (.935 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 3 रवि (.935 हैक्टेयर) - पत्थर नम्बर 101/239 (9) किला नम्बर 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17/.253, 23/.155 (पूर्व ओर), 24/.253 हैक्टेयर, 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 102/239 (8) किला नम्बर 20, 21/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 2.179 हैक्टेयर आराजी।

यह कि वादीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि वादीगण के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के आधिपत्य व धारण की आराजी एक दूसरे के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ का लाभ लेने से व कृषि भूमि को वितीय सुविधा आदि प्राप्त करने से वंचित हो रहे है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता सांझा होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अक्सर बट, सीव व रकमराज को लेकर विवाद रहता है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज भूमि की मुताबिक वाद पत्र की चरण संख्या 3 घोषणा एवं खाता तक्सीम करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार घोषणा एवं खाता तक्सीम करवाकर रकमराज अलग कायम करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है। यह कि प्रतिवादी संख्या 04 भू-धारक होने के कारण उक्त वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है।

यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :-

(क) कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज आराजी का वाद पत्र की मद संख्या 3 के अनुसार घोषणा की जाकर उक्तानुसार खाता अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं 2 ता 3 की ओर से अधिवक्ता गुरप्रीत सिंह बराड़ उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 की रजिस्टर्ड तलबी करवाई गई व हाजिर नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी एवं

प्रतिवादी सं. 2, 3 द्वारा वादपत्र में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तजवीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कायम रखते हुये दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-क्रियात्मक आदेश-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा के घोषणा की जाती है कि:-

(i) वादी संख्या 1 मंगूराम व वादी संख्या 2 सन्तुराम बहिस्सा बराबर - पत्थर नम्बर 100/239 (10) किला नम्बर 5/.253 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 101/239 (9) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 8 से 13/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 18 से 22/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 23/.098 (पश्चिम ओर) कुल 3.387 हैक्टेयर आराजी।

(ii) प्रतिवादी संख्या 1 नानकू (.309 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 2 बुधराम (.935 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 3 रवि (.935 हैक्टेयर) - पत्थर नम्बर 101/239 (9) किला नम्बर 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17/.253, 23/.155 (पूर्व ओर), 24/.253 हैक्टेयर, 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 102/239 (8) किला नम्बर 20, 21/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 2.179 हैक्टेयर आराजी। इसी अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग कायम किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगीलाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ